सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रियाः एक अवलोकन

*डॉ. गायत्री दीक्षित

सारांश

सेवीवर्गीय प्रशासन की सर्वप्रथम एवं प्रमुख सीढ़ी अपने कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती करना है। किसी भी व्यवसाय / कम्पनी / संगठन बैंक का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस संगठन के कर्मचारी कितने कुशल एवं कर्तव्यपरायण है। अतः सबसे अच्छी भर्ती नीति वही है जिसके द्वारा कुशल एवं कर्तव्य परायण कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भर्ती की जा सके। यदि भर्ती में अकुशल एवं आलसी प्रवृत्ति के कर्मचारियों का चयन हो जाता है तो उस संगठन /कम्पनी/विभाग/बैंक का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ऐसे कर्मचारियों के प्रवेश से संगठन /कम्पनी/विभाग/ बैंक के अन्य कर्मचारी भी दोषों के आदी हो जायेंगे। भारत में किसी भी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने की विधि इतनी जटिल है कि किसी भी अकुशल अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से अलग करना बहुत कठिन कार्य है। अतः भर्ती की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि अकुशल एवं आलसी प्रवृत्ति के कर्मचारियों का सेवा में चयन कदापि नहीं हो सकें। किसी भी संगठन /कम्पनी/विभाग/बैंक के लिए भी योग्य कुशल अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता होती है इसके लिए उस संगठन/कम्पनी/विभाग या बैंक की भर्ती व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। अतः भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है।

मुख्य बिंदू :सेवीवर्ग, कर्तव्य परायण, कौशल युक्त, आकर्षक, धूर्त, उम्मीदवार, सकारात्मक, नकारात्मक और साक्षात्कार आदि ।

परिचय

भर्ती का सामान्य अर्थ 'भरने' से है। किसी संगठन में रिक्त पदों को भरना ही भर्ती Recruitment है। भर्ती शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द RE + CRESCERE से हुई है। RE का अर्थ पुनः तथा CRESCERE का अर्थ बढ़ाने या वृद्धि करने से है।

एल. डी. व्हाईट के अनुसार :- "प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है।

मार्शल डिमॉक के अनुसार - "विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करना और बड़े समूह के लिए विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए कौशलयुक्त प्रतियोंगियों की खोज करना ही भर्ती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि भर्ती-

(1) संगठन की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है।
(2) योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करने से सम्बद्ध है।
(3) आकर्षक विज्ञापन तथा योग्यता निर्धारण पर बल देती है।
(4) योग्यता का निर्धारण प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि से करती है।

इस प्रकार भर्ती, योग्य व्यक्तियों को संगठन की ओर आकर्षित करने तथा न करने की प्रक्रिया को कहते है जिसमें पदों का आंकलन, योग्यताओं का ज्ञान आवेदन पत्रों की छंटनी, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन तथा योग्य उम्मीदवारों का

चयन एवं उनकी नियुक्ति की अनुशंसा सम्मिलित है।

भर्ती की अवधारणाएँ (Concepts of Recruriment)

किसी वस्तु विषय या विचार को स्पष्ट करने वाली व्याख्या अवधारणा (Concept) कहलाती है। भर्ती से संबंधित सामान्यतः दो अवधारणाएँ प्रचलित हैं :-

(1) नकारात्मक अवधारणा

(2) सकारात्मक अवधारणा

(1) बहुत आकर्षक ढंग से विज्ञापन देकर योग्य व्यक्तियों को संगठन की ओर बुलाया जाए,
(2) योग्यता का निर्धारण पद की आवश्यकताओं तथा विशेषताओं के अनुरूप हो।
(3) योग्यता का आंकलन वैज्ञानिक पद्धति तथा परीक्षणों से किया जाए।
(4) योग्य सक्षम तथा कार्यकुशल व्यक्तियों का ही चयन हो।
(5) सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाया जाए।
(6) भर्ती का प्रशिक्षण के साथ गहन संबंध स्थापित हो ।

इस प्रकार सकारात्मक अवधारणा की भर्ती नीति को महत्व देकर संगठन की कार्य कुशलता बढ़ाई जा सकती है।

भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी / अधिकारियों की खोज के बाद उन्हें आवेदन हेतु प्रेरित करती है।

भर्ती का आशय चुनाव से नहीं है, भर्ती एवं चुनाव में पर्याप्त अन्तर है।

भर्ती करने पर चुनाव करना अनिवार्य नहीं है।

भर्ती वर्तमान के अलावा भविष्य के लिए भी की जा सकती है।

सहकारी बैंकों में भर्ती के स्त्रोत :

अध्ययन में पाया गया कि सहकारी बैंक में भर्ती दो प्रकार से की जाती है एक बैंक में ही उपलब्ध कर्मचारियों में से ही भर्ती करके तथा दूसरे बाहर के व्यक्तियों में से भर्ती करके -

(1) आन्तरिक स्त्रोत/

(2) बाहरी स्त्रोत

(1) आन्तरिक स्त्रोत : आन्तरिक स्त्रोत से भर्ती का आशय बैंक के कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपनी भौतिक सीमाओं के बाहर जाने की आवश्यकता नही होती अर्थात् यदि बैंक में कोई स्थान रिक्त हो गया है तो उस स्थान की पूर्ति के लिए बैंक के अन्दर से ही योग्य कर्मचारी का चयन कर लिया जाता है, उसी भर्ती के लिए कोई विशेष भागदौड़ प्रयास एवं जांच की आवश्यकता नहीं होती है। भर्ती की इस प्रक्रिया से बैंक को यह लाभ होता है कि जिस पद पर भर्ती की जानी है उससे नीचे के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिससे प्रत्येक कर्मचारी यह प्रयास होता है कि वह कुछ ऐसा कर दिखाये जिससे उसको उच्च पद पर पदोन्नति का अवसर मिल सके।

(2) बाहरी स्त्रोत बाहरी स्त्रोतों से भर्ती का आशय उस स्थान से है जहाँ उत्कृष्ट प्रार्थी मात्रा में उपलब्ध हो सके।

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी से भर्ती मानते है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(क) **<u>शिक्षण संस्थाओं से भर्ती:</u>** अध्ययन में पाया गया कि बैंक के उच्च अधिकारी अछी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान छात्रों का चयन कर आते है तथा उनकी शिक्षा की समाप्ति पर उन्हें अपने संस्थान में सेवा के लिए चयन कर लेते है। वर्तमान में शिक्षण संस्थाओं से भती (Placement) एक अच्छा माध्यम है।

(ख) <u>रोजगार कार्यालयों से भर्ती :</u> अध्ययन में पाया गया कि बैंक रोजगार कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर बैंक के रिक्त पदों का विज्ञापन लगाकर तथा इच्छुक व्यक्तियों को पत्र के माध्यम से सूचना भेजकर उन्हें रोजगार ढूंढने में सहायता करते है। पूर्व में यह संस्था इस कार्य के लिए उत्तम माध्यम थी।

(ग) **<u>सेवानिवृत्त अधिकारियों में से भर्ती :</u>** अध्ययन में पाया गया कि इस पद्धति से बैंक में सेना से अल्प सेवा प्राप्त सेवानिवृत्त सेवा के अधिकारियों में से भर्ती की जा सकती है। पुलिस एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंकों हेतु गार्ड, चौकीदार, ड्राईवर आदि की भर्ती हेतु सेना या पुलिस से सेवानिवृत्त व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है।

(घ) <u>विज्ञापन :</u> वर्तमान समय में भर्ती का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। वर्तमान समय में इस स्त्रोत का प्रयोग हमारे देश में अधिकता से किया जाता है। संस्थायें विज्ञापन के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेती है परन्तु उन सबमें समाचार पत्रों व इंटरनेट से विज्ञापन एक महत्वपूर्ण साधन है। इस विधि के जरिये संस्थायें समाचार इन्टरनेट पर आवश्यक कर्मचारियों की संख्या, पदनाम, योग्यता, व वेतनमान का विज्ञापन लिख /डाल देते हैं तत्पश्चात् निश्चित तिथि को प्राप्त आवेदनों जाँच करके योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को साक्षात्कार की विधि के अनुसार चयन करके नियुक्ति प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार इस विधि से योग्य एवं अनुभवी आसानी से चयनित किये जा सकते है।

(3) अनुकम्पा भर्ती:

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लेना अध्ययन में पाया गया कि सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा में रहते मृत्यु पर उनके आश्रितों को सहानुभूति के रूप में उनके अनुसार किसी भी पद पर नियुक्ति की जाती है। यह प्रक्रिया लगभग सभी उपक्रमों में बनी हुई है। इससे बैंक में कार्यरत कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है तथा उनके परिवार को सहारा मिलता है।

बाह्य भर्ती/खुली प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भर्ती :

सहकारी बैंकों में इस पद्धति से आवेदन पत्र के साथ डिमान्ट ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डरों के माध्यम से विज्ञापन में मांग जाती है जिससे प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तथा उसके बाद उनका चयन किया जाता है।

सहकारी बैंकों भर्ती:

बैंक में भर्ती संबंधी नियमों का विवरण निम्न प्रकार से किया गया है

(1) आयु **:** सहकारी बैंकों में भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार ही है। आयु का निर्धारण करने के लिए प्रमाणों में से कोई एक प्रमाणित रिकार्ड का अवलोकन किया जाता है :- हाईस्कूल या सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र नगरपालिका के द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र कम्पीटेन्ट अथोरिटी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

(2) शिक्षा सम्बन्धी योग्यता: अध्ययन में पाया गया कि विभिन्न पदों के लिए सहकारी बैंक में विभिन्न योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं जिसका विवरण प्रकार से हैं :-

है

कर्मचारियों की योग्यता

1. पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer)
   ग्रेड "A" अधिकारी योग्यता: CS,CA,MBA(Finance) with Five years experience स्नातक + कम्प्यूटर का

ज्ञान

2. ग्रेड "B" अधिकारी
   योग्यता :स्नातक+कम्प्यूटर का ज्ञान तकनीकी योग्यता
3. ग्रेड "C" अधिकारी
   योग्यता: स्नातक+कम्प्यूटर का ज्ञान
4. ग्रेड "D" अधिकारी
   स्नातक + कम्प्यूटर का ज्ञान
5. क्लर्क कम केशियर
   स्नातक एवं कम्प्यूटर के ज्ञान को प्राथमिकता
6. चपरासी/गार्ड /चौकीदार
   दसवीं कक्षा पास

(3) चरित्र प्रमाण-पत्र अध्ययन में पाया गया कि चरित्र प्रमाण पत्र के बिना बैंक में किसी भी हालत में भर्ती नहीं हो सकती है अतः दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र को मान्यता दी गई है। जिनकी प्रमाणिकता नियुक्ति अधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर है।

(4) भती में अयोग्य **:**

(क) अध्ययन में पाया गया कि जिस किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी भी संस्था द्वारा बर्खास्त किया गया हो जैसे सहकारी संस्था या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अथवा पब्लिक सेक्टर संस्थान द्वारा सेवा से निकाला गया हो उसे बैंक में भर्ती के लिए अयोग्य माना गया है।

(ख) किसी कोर्ट द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति जिसके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी की धारा 2001 चल रही हो।

(ग) वह व्यक्ति जो पागल हो ।

(घ) वह व्यक्ति जिसे कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया हो।

(ड़) वह व्यक्ति जो किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य हो ।

(च) वह व्यक्ति जिसने एक से अधिक शादी कर रखी हो।

(छ) वह व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतान हो ।

(5) भर्ती पूर्व चिकित्सा जाँच: अध्ययन में पाया गया कि सहकारी बैंकों में भर्ती पूर्व मेडिकल जांच कराना अनिवार्य है जिसकी प्रामाणिकता मेडिकल आफिसर द्वारा बैंक के निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण करके की जाती है, मेडिकल के आधार पर सही व्यक्ति ही बैंक में भर्ती के योग्य माना जायेगा। मेडिकल जांच कार्य की फीस संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं व्यय की जायेगी।

(6) सिक्यूरिटी सहकारी बैंक में भर्ती से पूर्व कर्मचारी को व्यक्तिगत जमानत बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर देनी होती है।

(7) बैंक में भर्ती का पत्र अध्ययन में पाया गया कि सहकारी बैंक प्रत्येक व्यक्ति को बैंक सेवा में भर्ती से पूर्व बैंक सेवा में रखने का एक पत्र जारी किया जायेगा जिसमें उसकी किस पद पर नियुक्ति हुई है, उसका वेतनमान, सेवा की शर्तें, अवधि एवं परीवीक्षाकाल अवधि (Probation Period) का उल्लेख किया जाता है।

(8) पत्र प्राप्ति की स्वीकृति बैंक सेवा में भर्ती के लिए जारी किये गये पत्र की स्वीकृति संबंधित व्यक्ति से हस्ताक्षर एवं

दिनांक सहित निर्धारित समय अवधि के अंदर प्राप्त की जानी चाहिए जैसा कि नियुक्ति पत्र में वर्णित किया गया है।

(9) कार्यग्रहण की सूचना : अध्ययन में पाया गया कि कॉ-ऑपरेटिव बैंक प्रत्येक शक्ति को जिसको अरबन बैंक में नियुक्ति का पत्र जारी किया गया है एवं जिसने पत्र में वर्णित नियमों एवं शर्तों की पालना की स्वीकृति प्रदान कर दी हैं उसे अपने कार्यस्थल पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपनी उपस्थिति रिपोर्ट देनी होगी तब से ही उसकी नियुक्ति प्रभावित मानी जायेगी।

(10) परीवीक्षाकाल : अध्ययन में पाया गया कि शहरी सहकारी बैंकों में प्रथम नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष के लिए परीवीक्षाकाल के रूप में कार्य करना पड़ेगा। इस अवधि में यदि कर्मचारी का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उसे स्थाई नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी अन्यथा उसे एक वर्ष के लिए पुनः परीवीक्षाकाल से गुजरना होगा उसके बाद ही स्थाई नियुक्ति का पात्र होगा।

(11) संविदा पर भर्ती नियम: अध्ययन में पाया गया कि सहकारी बैंकों में कोई भी व्यक्ति कोन्ट्रेक्ट बेसिस के आधार पर भी बैंक के नियमों के अनुसार बैंक सर्विस में प्रश ले सकता है। समयावधि के पश्चात् समझौता स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

(12) आरक्षण अध्ययन में पाया गया कि सहकारी बैंक सेवा में भर्ती के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार जितने पदों पर भर्ती की जानी है उसकी के अनुपात में आरक्षण का नियम लागू किया जायेगा।

अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक में चयन प्रक्रिया :सहकारी बैंकों में पदों में भर्ती के लिए निम्न तरीके अपनाये जाते हैं":-

1. सीधी भर्ती द्वारा
2. पदोन्नति द्वारा भर्ती
3. राजस्थान सहकारी बैंक सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती
4. कान्ट्रेक्ट सर्विस द्वारा भर्ती
5. कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 द्वारा भर्ती

सीधी भर्ती:

इस प्रक्रिया द्वारा अनेक पदों के लिए विज्ञापन के माध्यम से जिला नियोजन कार्यालय से पंजीकृत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। स्थानीय एवं राज्य स्तर के समाचार पत्रों व इंटरनेट पर बैंक का नाम, पदों की संख्या, योग्यता, वेतनमान, अन्य आवश्यक निर्देशों का विज्ञापन निकाला जाता है जो बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अंकित होता है। निर्धारित तिथि पर बैंक द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है तथा मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के लिए बोर्ड का गठन किया जाता है। कमेटी द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के पश्चात् दोनों को मिलाकर उच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का चयन किया जाता है तथा सूची के अनुसार क्रमवार आको नियुक्ति पत्र प्रेषित किया जाता है। कॉ-ऑपरेटिव बैंक मुख्य कार्यकारी तथा महाप्रबन्धक, एक्जीक्यूटिव (क्लर्क), कैशियर, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, रिशेपनिष्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

2. **पदोन्नति द्वारा** : बैंक में कुछ पदों की भर्ती नीचे की श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा पूरी की जाती है। इस प्रक्रिया में बैंक को विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंकों में प्रबंधक व सहायक प्रबंधक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है।

13 **प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती**:

बैंक में कुछ पदों के लिए राजस्थान सहकारी सेवा द्वारा प्रतिनियुक्ति के मध्यम से पूर्ति की जाती है। इस पद्धति में बैंक अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है।

14 **कान्ट्रेक्ट सर्विस द्वारा** : भी बैंक कुछ पदों पर कर्मचारियों को रखता है जो समयावधि तक सीमित होते है शहरी सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक प्रबंधक, स्टेनोग्राफर, रिशेप्सनिष्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक्जीक्यूटिव कशियर, ड्राइवर, सहायक आदि।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति :

बैंक सेवा में कार्यरत कर्मचारी की यदि असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत प्रदान की जाती है।

भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन समितिः

(A) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (For Chief Executive)

कार्यकारी अधिकारी की भर्ती के लिए चयन समिति (Selection Committee) में निम्न पदाधिकारी होते हैं:-

(1) चेयरमैन / एडमीनीस्ट्रेटर
(2) रजिस्ट्रार का प्रतिनिधि / जो जोइन्ट रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव से कम की रैंक का ना हो।
(3) सहकारी बैंक सैक्टर में एक्सपर्ट जिसको रजिस्ट्रार द्वारा नामित किया गया हो।

इस प्रकार सभी सदस्यों के अंकों का मिलाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद का वयन किया जाता है।

(B) अधिकारी वर्ग के लिए: (For Officers)

अधिकारी वर्ग की भर्ती के लिए चयन समिति (Selection Committee) में निम्न पदाधिकारी होते हैं:-

(1) चेयरमैन / एडमीनीस्ट्रेटर
(2) बैंक का चीफ एक्ज्यूटिव ऑफिसर
(3) जाईन्ट रजिस्ट्रार जोन
(4) को-ऑपरेटिव बैंक सेक्टर में एक्सपर्ट जिसको रजिस्ट्रार नामित करता है।

इसी प्रकार सभी सदस्य साक्षात्कार के पश्चात् अपने अंक निर्धारित करते हैं एवं सभी मिलाकर सर्वोच्च अंकों के आधार पर अधिकारी का चयन किया जाता है।

(C) लिपिकीय वर्ग के लिए (For Clerical Staff) सलेक्शन कमेटी में निम्न पदाधिकारी होते हैं-

(1) चेयरमैन / एडमीनीस्ट्रेटर
(2) बैंक का चीफ एक्ज्युकेटिव आफिसर
(3) सहायक रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी
(4) डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी

सभी सदस्यों के सम्मिलित अंकों के आधार पर सर्वोच्च व्यक्ति का चयन किया जाता है। इस प्रकार अरबन बैंक में सभी श्रेणी की भर्ती के लिए उपरोक्त चयन प्रक्रिया अपनाई जाती हैं।

अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक का प्रबन्धक मंडल : **बैंको में पद वर्गीकरण**

- प्रबन्ध संचालक

- महाप्रबन्धक
- सहायक महाप्रबन्धक
- क्षेत्रीय प्रबन्धक
- प्रबन्धक
- सहायक प्रबन्धक
- लिपिक वर्ग
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

प्रबन्धक संचालक: सहकारी बैंक में प्रबन्धक संचालक मुख्य कार्यकारी के तहत कार्य करता है। यह पद संस्था का सर्वोच्च पद होता है। इसके दायित्व और कर्तव्य एक मुख्य कार्यकारी के दायित्व और कर्त्तव्य होते है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिये उत्तरदायी होता है। प्रबंध संचालक का कार्य संस्था की कार्यकारिणी एवम् संस्था के निदेशकों द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्य करना, करवाना, समय-समय पर जनरल छपवाना, सभी प्रकार के पत्राचार बैंक के लिये करना, सभी प्रकार के खाते, सहकारी नियमों के तहत बनवाना और संचालित करना है।

संचालक: संचालक का कार्य सभी शाखाओं का नियन्त्रण करना, एक संरक्षक के रूप में करना, नकदी सम्पत्ति अचल एवम् चल दोनों, सभी दस्तावेज सिक्यूरीटज आदि की 'सुरक्षा करना है।

महाप्रबन्धक निदेशक: सहकारी बैंक के महाप्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देशित गतिविधियों एवं आदेशों की पालना करना, करवाना तथ बैंक की शाखा प्रबन्ध व्यवस्था का निरन्तर रखना, बैंक की अंकेक्षण गतिविधियाँ करवाना व तदनुसार क्रियान्विति करना, बैंक की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाना ताकि कार्य में निरन्तरता बनी रहे।

सहायक महाप्रबन्धक (Assistant General Manager): सहकारी बैंक का कार्य महाप्रबन्धक द्वारा दिये गये आदेशों की पालना करना तथा शाखाओं में जाकर प्रबन्धकों से समय-समय पर बैठक आयोजित करके बैंक की जमा योजना बनाना एवम् ऋण अग्रिम के लिये प्रबन्धकों से मीटिंग कर बैंक में अधिक से अधिक ऋण वितरण का कार्य करवाना तथा समय-समय पर उच्च अधिकारियों को शाखा में होने वाली कठिनाईयों की जानकारी देना है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक : क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्य प्रधान कार्यालय आदेशों को शाखा में अमल में लाना तथा की समस्त गतिविधियों की जानकारी रखना तथा बैंक के उच्चाधिकारी द्वारा जी जाने वाली रिपोर्ट समय-समय पर प्रधान कार्यालय भिजवाना एवम् पत्राचार है। क्षेत्रीय प्रबन्धक क्षेत्र विशेष के लिये अपने क्षेत्र में आने वाली (प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देशित शाखाओं को) शाखाओं की समस्त गतिविधियों जैसे नकदी करवा सम्पत्ति ऋण एवम् जमा ग्राहक सेवा संस्थापन एवम् सम्बन्धित सभी बैंकिंग कार्य को सुचारू रूप से चलवाने के लिये शाखा प्रबन्धक को निर्देशित करना है।

प्रबन्धक : सहकारी बैंक का प्रबन्धक शाखा की एक घुरी होता है। प्रबन्धक के गुण एवम् अवगुण प्रबन्धक की कार्यशैली प्रबन्धक के ज्ञान एवम् तकनीकी योग्यता एवम् प्रबन्धकीय क्षमता सभी तथ्यों पर एक बैंक का भविष्य निर्भर रहता है। अतः प्रबन्धक द्वारा किये गये निर्णय बैंक के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं। इसलिये यह कहा जा सकता की प्रबन्धक बैंक में वह घुरी है जो ग्राहक सेवा से लेकर ग्राहक सन्तुष्टि तक के कार्य को इस प्रकार से अन्जाम देता है ताकि बैंक की उत्तरोतर वृद्धि हो सके।

सहायक प्रबन्धक

सहकारी बैंक का यह पद बैंक में एक लेखापाल कार्य करता है जिसमें खातों का लेखा जोखा, ऋण एवम् जमा का लेखा जोखा सहायक प्रबन्ध द्वारा रखा जाता है। शाखा प्रबन्धक की अनुपस्थिति में शाखा के समस्त कार्य इसके द्वारा

देखे जाते हैं सहायक प्रबन्धक अधिकारी वर्ग के तहत प्रथम सोपान है।

सहकारी बैंक का लिपिक : सहकारी बैंकों में लिपिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लिपिक बैंक में सेवा से सम्बन्धित सभी कार्यों को गतिशीलता देता है जिसमें नकदी लेने से लेकर नकदी देना, चैक का लेनदेन करवाने में सहायता करना, सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में डेबिट क्रेडिट एवम् प्रबन्धक द्वारा निर्देशित सभी आदेशों की पालना करना है। लिपिक ग्राहक से सीधे सम्पर्क में आने वाला बैंक का प्रथम व्यक्ति होता है जो बैंक के कर्य की सभी जानकारी ग्राहक को देता है लिपिक शाखा से सम्बन्धित जो भी कार्य होता है उसमें सहायता प्रदान करता है।

बैंक का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: सहकारी बैंक का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैंक की सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में बतौर सहायक के रूप में कार्य करते हैं। परन्तु एक अच्छे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी का कर्तव्य बैंक में सभी कर्मचारियों के निर्देशों का पालन स्वयं के विवेक एवं आज्ञानुसार करना होता है। साथ ही हंसमुख व्यक्तित्व शाखा के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को आपस में जोड़ने की कड़ी होती है।

***सहायक आचार्य (लोकप्रशासन)**
श्री महावीर कॉलेज, जयपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. सु**रेंद्रा** कटारिया, कार्मिक प्रशासन, आर.बी. पब्लिशर्स, जयपुर, सातवाँ एवं परिवर्धित संस्करण, 2012, पृष्ठ 136
2. **एडविन** फिल्प-प्रिन्सिपल ऑफ परसोनल मैनेजमेन्ट, पृष्ठ 416
3. सी.वी. मामोरिया, सेवी वर्गीय प्रबंध एवं औद्योगिक सम्बन्ध, पृष्ठ 134
3. सुरेन्द्र कटारिया, पूर्वोक्त पृष्ठ 136-137
4. सी.वी. मामोरिया, पूर्वोक्त पृष्ठ 175
5. सी.एम. लोढ़ा, कॉ-ऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया, कारपोरेशन बुक डिपो, बॉम्बे, 1956, पृष्ठ 137
6. स्रोतः कार्यालय रजिस्ट्रार सरकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर क्रमांक 15 (43) सविरा/बैंक-1/97 पार्ट-2 (राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003)
7. स्रोत: मॉडल बाइलॉज ऑफ ए प्राइमरी कॉ-ऑपरेटिव बैंक्स राजस्थान ।
8. सी. बी. मामोरिया-सेवी वर्गीय प्रबन्ध एवं औद्योगिक सम्बन्ध पृष्ठ 182,261
9. सी.वी. मामोरिया- पूर्वोक्त पृष्ठ 182
10. सी.वी. मामोरिया- पूर्वोक्त पृष्ठ 183
11. सी.वी. मामोरिया - पूर्वोक्त
12. सी.बी. मामोरिया- पूर्वोक्त

13. सी.वी. मामोरिया पूर्वोक्त
14. सी.वी. मामोरिया - पूर्वोक्त
15. स्रोतः मॉडल बाइलॉज ऑफ ए प्राइमरी कॉ-ऑपरेटिव बैंक्स राजस्थान।
17. एस.के. बंसल बैंकिंग सचेतता, 2007, पृष्ठ 116
18. सुरेन्द्र कटारिया, पूर्वोक्त, पृष्ठ 205
19. बी.एल. फड़िया-लोक प्रशासन, साहित्य भवन, आगरा 2003, पृष्ठ 2
20. बी. एल. फड़िया-लोक प्रशासन, संशोधित संस्करण, 2012, साहित्य भवन, आगरा, पृष्ठ 235
21. स्रोतः कार्यालय अरबन कॉ-ऑपरेटिव फैडरेशन, जयपुर
22. स्रोत: राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर वर्षक प्रतिवेदन, 2010, परिशिष्ट 'र'
23. सोतः कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, राजस्थान, जयपुर, पत्र क्रमांक UST.15(43) सविरा / बैंक-1 / सेवा नियम / अर/जन / 97 पार्ट-2 दिनांक 02.08.2007 (राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003)
24. मॉडल बाइलॉज ऑफ ए प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक्स राजस्थान।।
25. डी. बी. एल. फड़िया-लोक प्रशासन, संशोधित संस्करण, 2012, साहित्य भवन, आगरा, पृष्ठ 336,263।